

ख
सक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राधेश्याम vs रामरान

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली दिनांक - 10/7/2024 को पेश हो

10/7/24 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने
से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली
दिनांक.....12/07/24 को पेश हो।

12/7/24

पत्रावली पेश। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खसरा संख्या 727/532 व ख0सं0 536 वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना प्रमाणित आया है। प्रकरण में अप्रार्थी 1 लगायत 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए हैं। वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 727/532 व ख0सं0 536 वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत आंशिक स्वीकार योग्य है।

-: आदेश :-

प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आलोक में आदेश दिए जाते हैं कि विवादित भूमि खसरा संख्या 727/532 व ख0सं0 536 से लगती हुई भूमि खसरा संख्या 537 व 726/532 की सीमा पर वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा के पडोसी काशतकारन को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। सम्बन्धित भूअभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी करने से कम से कम 3 दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडोसियान एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। उक्त आदेश की पालना के लिए पत्थरगढी फीस नियमानुसार प्रार्थी से राजकोष में जरिए चालान निर्धारित मद में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ ~~कय~~ तहसीलदार, ~~कय~~ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

दिउडोली

उपखण्ड अधिकारी
दिउडोली